To Shri Jagdeep Singh
DGM (PR)

(2)

इकाई : आबूरोड

विषयः आवासीय कॉलोनी ग्रोथ सेन्टर, प्रथम चरण, आबूरोड में निर्मित आवासीय मकानो के आवंटन हेतु प्राप्त की जाने वाली मुहरबन्द निविदा की शते।

आवासीय कॉलोनी ग्रोथ सेन्टर, प्रथम चरण, आबूरोड में निर्मित आवासीय मकानो के आवंटन हेतु प्राप्त की जाने वाली मुहरबन्द निविदा की शर्तें निम्नानुसार है।

•मुहरबन्द निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति को भूखण्ड के लिये आरक्षित कीमत की 2 प्रतिशत की दर से अमानत राशि (न्यूनतम रू. 10000/-) नकद अथवा डी.डी. ("रीको लि. आबूरोड के नाम देय") बोली लगाने से पूर्व जमा करानी होगी। • अमानत राशि का भुगतान चैक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। •निर्मित मकान/भूखण्ड की मुहरबन्द निविदा **"जहां है जैसा है"** के आधार पर प्राप्त की जायेगी। •स्वीकृत उच्चततम निविदादाता को भू-खंड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा। •उच्चतम निविदादाता को निविदा खोलते ही आरक्षित दर की राशि की 10 प्रतिशत राशि, अमानती राशि के अतिरिक्त, मौके पर ही जमा करानी होगी अन्यथा उसकी जमा अमानती राशि जब्त कर ली जायेगी। •उच्चतम निविदादाता को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। उच्चतम निविदा को स्वीकृत करने की सूचना का पत्र जारी होने के सात दिवस के अन्दर उच्चतम निविदा के अनुसार आवासीय मकान की कुल राशि का 25 प्रतिशत (पूर्व में जमा राशि को समायोजित करते हुये) शेष राशि नकद अथवा डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर पूर्व जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जावेगी। •निर्मित मकान/ भूखण्ड की बकाया 75 प्रतिशत राशि आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात् निगम के नियमानुसार सात त्रैमासीक किश्तों में जमा करानी होगी जिस पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। वर्तमान में यह दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है। •आवंटी आवासीय निर्मित मकान/भूखण्ड के मामले में 75 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु का विकल्प दे सकता है जो कि आवांटन की तिथि से 60 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा असफल रहने पर नियमानुसार राशि जब्त कर ली जायेगी। •आवंटी द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि के भुगतान किश्तों में विकल्प देने की स्थिति में **भूखंड का कब्जा भुखंड आवंटन की दिनांक से 90दिन में प्राप्त कर लीज डीड निष्पादित करानी होगी अन्यथा मकान का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। •आवंटी रीको भू-निपटान नियम 1979 व समय-समय पर किये गये संशोधन की अनुपालना के लिये बाध्य होगा।** •आवासीय मकान/भूखण्डों में भवन निर्माण रीको डिस्पोजल लेण्ड रूल्स (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार आवासीय भूखंडों के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार करना होगा। •भूखण्ड का क्षेत्रफल कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। भुगतान वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार देय होगा। •निर्मित आवासीय मकान/भूमि के आवंटी को लीज एग्रीमेन्ट का निष्पादन एवं पंजियन का व्यय स्वंय के खर्चे पर कराना होगा। •आवंटी द्वारा आर्थिक किराया एवं सेवा प्रभार की राशि चालु वित्त वर्ष के लिये 60 दिवस में एवं आगे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये जुलाई माह की अंतिम तिथि तक प्रचलित दरों पर अग्रिम रूप से जमा करानी होगी। आवंटी सेवा शुल्क की 10 वर्षों के लिये एक **मुश्त राशि जमा करा सकता है, जो कि 6 वर्ष के सेवा शुल्क के बराबर होगी। आर्थिक किराया देय वर्ष का जमा कराते हुये शेष लीज अवधि का 10 गुना जमा कराने का भी प्रावधान है। •उक्त** मुहरबन्द निविदा मकान के आवासीय प्रयोजनार्थ प्राप्त की जा रही है, उसका उपयोग आवासीय कार्य हेतु किया जायेगा। • मुहरबन्द निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाता मौके का निरीक्षण करेगा अन्यथा यह माना जायेगा कि निविदादाता द्वारा मौके पर निर्मित मकान/भूखण्ड की साईज एवं टोपोग्राफी देख ली है एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप स्वीकार नहीं होगा।

19/4/10.

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको लि., आबूरोड